प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 06 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश उर्फ कुन्हा शुक्ला पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश उर्फ कुन्हा शुक्ला पुत्र श्री कन्हैयालाल, जो ग्राम-सागरगढ़ी, मजरा-एरा काकेमऊ, थाना-अतरौली, जनपद-हरदोई का निवासी है। जमीन पर ट्रैक्टर का लोन लिये जाने पर मुकदमा लिखा दिये जाने की रजिश को लेकर दिनांक 30/31.05.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर 02 व्यक्तियों व 03 अबोध बच्चों सहित कुल 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 01 बच्चे को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-793/2009 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-04, हरदोई के आदेश दिनांक-11.02.2011 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक-19.09.2013 द्वारा अपील को निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। 2-एसटी नं0-258/2016, भा०द०वि० की धारा-2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, गैगेस्टर एक्ट, हरदोई के आदेश दिनांक-30.01.2016 द्वारा 10 वर्ष कारावास। (मूल सजा समाप्त अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की सजा शेष)। बन्दी द्वारा दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जमीन पर ट्रैक्टर का लोन लिये जाने पर मुकदमा लिखा दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 30/31.05.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर 02 व्यक्तियों व 03 अबोध बच्चों सहित कुल 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 01 बच्चे को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रमेश उर्फ कुन्हा शुक्ला पुत्र श्री कन्हैयालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश उर्फ कुन्हा शुक्ला (बन्दी संख्या-28126) पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी जनपद-हरदोई को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-896/2026/1899(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-896/2026/1899/22-2-2025-17(423)/2024

दिनांक: 06 जुलाई, 2026 का संलग्नक

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश उर्फ कुन्हा शुक्ला पुत्र श्री कन्हैयालाल, जो ग्राम-सागरगढ़ी, मजरा-एरा काकेमऊ, थाना-अतरौली, जनपद-हरदोई का निवासी है। जमीन पर ट्रैक्टर का लोन लिये जाने पर मुकदमा लिखा दिये जाने की रजिश को लेकर दिनांक 30/31.05.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर 02 व्यक्तियों व 03 अबोध बच्चों सहित कुल 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 01 बच्चे को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं0-793/2009 में भा०द०वि० की धारा-147, 148, 302/149, 307/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-04, हरदोई के आदेश दिनांक-11.02.2011 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक-19.09.2013 द्वारा अपील को निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। 2-एसटी नं0-258/2016, भा०द०वि० की धारा-2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, गैगेस्टर एक्ट, हरदोई के आदेश दिनांक-30.01.2016 द्वारा 10 वर्ष कारावास। (मूल सजा समाप्त अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की सजा शेष)। बन्दी द्वारा दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखे जाने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जमीन पर ट्रैक्टर का लोन लिये जाने पर मुकदमा लिखा दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 30/31.05.2009 की रात्रि को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांके से मारकर 02 व्यक्तियों व 03 अबोध बच्चों सहित कुल 05 लोगों की हत्या कर दी तथा 01 बच्चे को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रमेश उर्फ कुन्हा शुक्ला पुत्र श्री कन्हैयालाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।